

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर

Madhya Pradesh Medical Science University, Jabalpur

Phone: 0761-2670333, 2670338 (Aff.)
Fax: 0761-2670333
Website: mpmsu.edu.in
E-mail: mpmsuregistrar@gmail.com



Address:-
Madhya Pradesh Medical Science University,
NSCB Medical College Campus
Bhedaghat Road, Jabalpur, MP-482003

क्रमांक / म.प्र.आ.वि.वि. / संबद्धता / 2019-20 / 2869

जबलपुर, दिनांक 22/12 / 2020

प्रति,

Principal,
Shri Aurobindo Institute Of Medical Science College Of Nursing,
Indore M.P.

विषय:- बी.एस-सी. नर्सिंग एवं एम.एस-सी. नर्सिंग पाठ्यक्रमों हेतु मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर से संबद्धता/निरंतरता विषयक।

—000—

मध्यप्रदेश नर्सस रजिस्ट्रेशन कौंसिल, भोपाल द्वारा प्रदत्त मान्यता एवं पंजीयन क्रमांक A190606 के अनुसार तदर्थ कार्य-परिषद की बैठक दिनांक 06/10/2020 एवं दिनांक 25/11/2020 में अनुमोदन उपरांत आपके महाविद्यालय को निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में सत्र 2019-20 हेतु मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा पूर्णतः अस्थाई एवं प्रावधिक रूप से सशर्त संबद्धता/निरंतरता प्रदान की जाती है:-


S. No.	Name of Course	Seats
01	B.Sc. (Nursing) -	100
02	M.Sc. (Nursing)- (i). Medical Surgical Nursing-	03
	(ii). Community Health Nursing-	05
	(iii). Obstetric Nursing-	06
	(iv). Pediatric Nursing-	02

शर्त :-

1. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर में सत्र 2019-20 में संबद्धता/निरंतरता हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र के साथ चाहे गये विभिन्न परिशिष्टों में से यदि किसी परिशिष्ट के अभिलेख/चाही गयी जानकारी महाविद्यालय द्वारा संलग्न कर प्रेषित नहीं की गई है तो ऐसे अभिलेख/चाही गई जानकारी संबद्धता पत्र जारी करने के दिनांक से अधिकतम 30 दिवस की अवधि में अनिवार्यतः जमा करायी जाये। अन्यथा स्थिति में संबद्धता/निरंतरता निरस्त की जा सकेगी।
2. आगामी वर्ष 2020-21 की संबद्धता/निरंतरता हेतु मध्यप्रदेश नर्सस रजिस्ट्रेशन कौंसिल, भोपाल से अनुमति प्राप्त कर मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के निर्धारित संबद्धता आवेदन पत्र पर निर्धारित शुल्क सहित आवेदन करना होगा।
3. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक-26 एवं 28 तथा परीक्षा अध्यादेश के प्रावधानों का अनिवार्यतः पालन करना होगा। जिसकी प्रति विश्वविद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है।
4. कॉलेज कोड 28, मध्यप्रदेश नर्सस रजिस्ट्रेशन कौंसिल, भोपाल के मापदण्डों के अनुरूप प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक रूप से निरंतर करनी होगी।
5. महाविद्यालय में प्राचार्य/शिक्षकों की रिक्तियां होने पर तीन माह की अवधि में नियुक्ति करनी होगी अन्यथा महाविद्यालय को प्रदत्त की गई अस्थाई एवं प्रावधिक संबद्धता/निरंतरता निरस्त की जा सकेगी।

6. शासी निकाय का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन किया जाये जिसमें विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हों। इन बैठकों का कार्यवाही विवरण विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
7. महाविद्यालय के व्याख्यान कक्षाओं तथा परीक्षा हॉल में अनिवार्य रूप से सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित किये जाये। विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा के लिए महाविद्यालय में उपलब्ध बैठक व्यवस्था के आधार पर परीक्षा केन्द्र बनाया जा सकेगा। महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए परीक्षा केन्द्र उपलब्ध कराने से इंकार करने की स्थिति में महाविद्यालय की संबद्धता समाप्त की जा सकेगी।
8. महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा यह संबद्धता प्रदान की जा रही है। अभिलेख असत्य पाये जाने पर संबद्धता निरस्त की जायेगी।
9. महाविद्यालय के शिक्षकों द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं की उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अनिवार्यतः किया जायेगा। विश्वविद्यालय की उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को निर्धारित समयवधि में पूर्ण नहीं करने अथवा मूल्यांकन करने से इंकार करने की स्थिति में महाविद्यालय की संबद्धता समाप्त की जा सकेगी।
10. विषय से संबंधित उपकरणों/पुस्तकों की व्यवस्था मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल, भोपाल तथा विश्वविद्यालय के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप करना होगा।
11. मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल, भोपाल तथा मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित किये गये नियमों एवं मापदण्डों का पालन करना होगा।
12. महाविद्यालय का स्वयं का भवन होने संबंधी प्रमाण पत्र के साथ शासन से प्राप्त भवन संबंधी अनुमति पत्र संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।
13. विश्वविद्यालय द्वारा अधिरोपित शर्तों की पूर्ति नहीं होने पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त की गई अस्थायी एवं प्रावधिक सम्बद्धता निरस्त की जा सकेगी।
14. महाविद्यालय में मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल, भोपाल के मापदण्डों के अनुसार नियुक्त किये गये प्राचार्य एवं शिक्षकों के नियुक्ति आदेश तथा कार्यभार ग्रहण करने संबंधी समस्त अभिलेख (संबंधित की फोटो सहित) विश्वविद्यालय में जमा कराये जाये।
15. संबद्धता/निरंतरता हेतु आवेदन के साथ संलग्न अभिलेखों की पुष्टि एवं आवश्यक अर्हताओं की पूर्ति करने के संबंध में माननीय कुलपति महोदय द्वारा समिति गठित करके महाविद्यालय का निरीक्षण कर जांच की जा सकती है।
16. मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल, भोपाल द्वारा इस पत्र में उल्लेखित संबद्धता सत्र के लिए महाविद्यालय की मान्यता समाप्त करने की स्थिति में महाविद्यालय की संबंधित सत्र की संबद्धता स्वतः समाप्त मानी जायेगी।


(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)


 कुलसचिव
 मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
 जबलपुर
 जबलपुर, दिनांक 22/12/2020

पृ. क्रमांक/म.प्र.आ.वि.वि./संबद्धता /2019-20/2869-A

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल।
2. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल, भोपाल।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. परीक्षा नियंत्रक/सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय), मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
5. कार्यालय कुलपति/कुलसचिव, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।


 उप-कुलसचिव (संबद्धता)
 मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
 जबलपुर

अनुसूची-9
नियम-5(6) देखिए
मान्यता प्रमाण पत्र का प्रारूप

मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल,
गोमन्तिका परिसर, तृतीय तल, जवाहर चौक, भोपाल ।

क्रमांक / म.प्र.न.र.क. / 20 / 211

भोपाल, दिनांक : 22/01/2020

मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल एतद् द्वारा मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम, 2018 के तहत **Shri Aurobindo Institute of Medical Science College of Nursing, Indore , Indore** पंजीयन क्रमांक **A190606** को निम्न नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु मान्यता प्रदान करता है:-

क्रमांक	पाठ्यक्रम	शैक्षणिक सत्र	छात्र संख्या
1	B.Sc. (Renewal)	2019-20	100
2	G.N.M. (Renewal)	2019-20	50
3	M.Sc. (Nursing) Medical Surgical Nursing (Renewal)	2019-20	3
4	M.Sc. (Nursing) Community Health Nursing (Renewal)	2019-20	5
5	M.Sc. (Nursing) Obstetric Nursing (Renewal)	2019-20	6
6	M.Sc. (Nursing) Pediatric Nursing (Renewal)	2019-20	2

मान्यता की शर्त:-

1. यह मान्यता "मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम, 2018" के तहत शासित है।
2. सभी पाठ्यक्रमों के लिये मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल, भोपाल में रजिस्ट्रेशन के पूर्व पाठ्यक्रम से संबंधित अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करना एवं पाठ्यक्रम अनुसार इंटरशिप पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
3. संस्था द्वारा छात्र अथवा उस के पालक से प्राप्त की जाने वाली विभिन्न फीस/शुल्क की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी:-
(अ) प्रवेश, शिक्षण, विकास/संधारण, कम्प्यूटर, इन्टरनेट, आदि शुल्क के लिए समय-समय पर राज्य प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति अथवा मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल द्वारा निर्धारित शुल्क की राशि।
(ब) पंजीयन परीक्षा एवं परीक्षा परिणाम की अंकसूची/प्रमाण-पत्र के संबंध में मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल/मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर म.प्र. द्वारा निर्धारित शुल्क की राशि।
4. यह मान्यता स्वयं की घोषणा के आधार पर दी जा रही है। जानकारी असत्य पाये जाने पर मान्यता निरस्त की जावेगी।

दिनांक :- 22/01/2020

Validity unknown

Digitally Signed By Jayanti Chaurasia
(Personal)

Date : 22-Jan-2020 20:02:16 IST

हस्ताक्षर

श्रीमती जयंती चौरसिया
रजिस्ट्रार

File No. : 18-18/1517-INC

Date : 01/09/2020

To

The Principal,

Sri Aurobindo Institute Of Medical Sciences, College Of Nursing ,

Vill.- Bhawarsala, Tehsil- Sanwer, Distt.-

Indore, Pin Code - 453555 , Madhya

Pradesh.

Subject : Renewal of Suitability for the academic year 2020-2021.

Ref : Society/Trust : Sri Aurobindo Institute Of Medical Sciences

Parent Hospital :

Institution Code : 181123

Sir/Madam,

Reference to your application no. 11914 dated 10/06/2020 for Renewal of Suitability. The INC after examining the particulars and documents submitted/uploaded is pleased to renew the **Suitability** of your Institution i.e. Sri Aurobindo Institute Of Medical Sciences, College Of Nursing , for the academic year **2020- 2021** as per particulars given below

Sl.No.	Programme Code	Programme	Annual Intake
1	1804013	M.Sc(N)	16 (Sixteen)
2	1803032	B.Sc(N)	100 (Hundred)
3	1802709	G.N.M.	50 (Fifty)
4	1801046	A.N.M.	30 (Thirty)

With the issuance of this letter your institution's name has been included in the list of nursing Institutions posted at Indian Nursing Council website for the academic year 2020-2021.

This renewal has been granted subject to the Institution complying with the observations enclosure at Annexure-1 as per prescribed INC norms within a period of **3 (three) months** and reporting compliance.

This issues with the approval of Competent Authority.

Copy forwarded for information and necessary action :

1. The Secretary (Health) ,

Validity unknown

Yours faithfully
Digitally Signed by K/S Bharati
Joint Secretary(INC)
Date : 09/10/2020 8:15:15 IST
Location : New Delhi

भारतीय उपचर्या परिषद्

आठवॉ तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लॉट नं. 2, कम्युनिटी
सेन्टर, ओखला फेज-1, नई दिल्ली - 110020



INDIAN NURSING COUNCIL

8th Floor, NBCC Centre, Plot No. 2, Community Centre
Okhla Phase-I, New Delhi - 110020

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय
Statutory Body under the Ministry of Health & Family Welfare

File No. : 18-18/1517-INC

Date : 01/09/2020

Public Health Department, Govt. Of Madhya
Pradesh, Mantralaya, Bhopal-462001.
Madhya Pradesh.

2. The Registrar,

Madhya Pradesh Nurses Registration
Council, Flat No 7- 8 & 8 3rd Floor
Gomantika Parisar Jawahar Chowk Bhopal-
462003 Madhya Pradesh.

3. The Registrar,

Madhya Pradesh Medical Science University
Medical College Campus, Jabalpur, Madhya
Pradesh 482003

Validity unknown

Yours faithfully
Digitally Signed by K/S. Bharati
Joint Secretary(INC)
Date : 09/10/2020 8:34:53 IST
Location : New Delhi

Page 2 of 3

उपचर्या शिक्षा के एकसमान मानक प्राप्त करने के लिए प्रयासरत
Striving to Achieve Uniform Standards of Nursing Education
Website: www.indiannursingcouncil.org E-mail: secy.inc@gov.in
Phone: 011-66616800, 66616821, 66616822

File No. : 18-18/1517-INC

Date : 01/09/2020

Observations :-

Annexure-1

- Size of laboratories shall be as per INC norms.

- The uploaded building completion certificate is not legible. Hence, it is required to re-upload Building Completion Certificate / Building Status Report of the nursing institution building attested by a Govt. empanelled Architect/ Engineer certifying the following duly translated in Hindi/English version

- i. Location (Institution's full address) of the nursing institution building.
- ii. In whose name the building / land is registered.
- iii. Blue print.
- iv. Total area and size of the building.
- v. Two photographs of the institution taken from the different angles (Front side with institution name and back side) duly attested by the engineer/architect/town planner.

Building Completion Certificate and Photographs of building will not be accepted if the copy of registration of issuing authority i.e., Engineer/Architect/Town planner is not uploaded.

- Self attested color photographs of Mr. Vishwaknt Vishesh, Mr. Devendra Singh, Mrs. Vandana Sharma, Ms. Kavita Pal, Mrs. Synthia Singh George, Mr. Sumit Padihar, Ms. Mansi Choudhary to be uploaded.

- All nursing teaching faculty, nurses working in the hospital & M.Sc (N) students shall be enrolled under NRTS as per the Gazette notification namely Indian Nursing Council (Nurses Registration & Tracking System) Regulations, 2019 dated 7th May 2019.

- Last year receipt of amount paid for clinical experience of the students and permission letter for clinical facilities for 2020-21 from Govt. Mental Hospital, Indore are not uploaded.

- Anti-Ragging directives as per the gazette notification dated 24th October 2017 shall be followed.

Validity unknown

Yours faithfully
Digitally Signed by K/S Bharati
Joint Secretary(INC)
Date : 09/10/2020 8:34:58 AM
Location : New Delhi